सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ईसीजीसी लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के सदस्यों की 68वीं वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करने के लिए दिनांक 21 सितंबर 2026, सोमवार को 12:30 बजे आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य:

मद संख्या 1 – लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाना

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलनपत्र, राजस्व खाता और लाभ और हानि खाते सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना एक **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करने के लिए:

"**संकल्पित किया गया कि** 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित तुलनपत्र, राजस्व खाता और लाभ और हानि खाते के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ और वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट जो सदस्यों को परिचालित की गई है, पर एततद्वारा विचार और अपनाया गया।"

मद संख्या 2 – लाभांश की घोषणा

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना एक **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करने के लिए:

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

ईसीजीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) पंजीकृत कार्यालय : ईसीजीसी भवन, सी.टी.एस. नं. 393, 393/1 से 45, एम. वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 069, भारत.
ECGC LIMITED (A Government of India Enterprise) Regd. Office : ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45, M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, India.
फोन / Tel.: (022) 6659 0510, ई-मेल / Email : contact@ecgc.in, वेब / Website : www.ecgc.in, सी आई एन / CIN : U74999MH1957GOI010918

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे.
You focus on exports, we cover the risks.

"**संकल्पित किया गया कि** 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लाभों में से ₹4,338 करोड़ (रुपये चार हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ मात्र) की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी पर प्रत्येक ₹100/- के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पर ₹9 (रुपये नौ मात्र) का अंतिम लाभांश, जिसकी कुल राशि ₹390,42,00,000 (रुपये तीन सौ नब्बे करोड़ और बयालीस लाख मात्र) है एवं जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया है को एततद्वारा अनुमोदित एवं घोषित किया गया।"

मद संख्या 3 – भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों/क्षेत्रीय कार्यालय लेखापरीक्षकों/शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों / क्षेत्रीय कार्यालयों लेखापरीक्षकों तथा शाखा लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना एक **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करने के लिए:

"**संकल्पित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 एवं अन्य लागू प्रावधानों, अगर कोई हो, के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पत्र सं./सीए. वी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार, ईसीजीसी(66)/752 दिनांक 08 सितंबर, 2026 द्वारा नियुक्त किए गए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों, क्षेत्रीय कार्यालय लेखापरीक्षकों एवं शाखा लेखापरीक्षकों को एततद्वारा रिकॉर्ड पर लिया जाता है एवं लेखापरीक्षक 69वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक पद धारण करेंगे।

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

"**यह भी संकल्पित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों के लिए क्रमशः नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों/ क्षेत्रीय कार्यालय लेखापरीक्षकों एवं शाखा लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत किया गया।"

विशेष कार्य:

मद संख्या 4 – श्री केशवन रामचंद्रन (डीआईएन 11347731), कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना एक **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करने के लिए:

"**संकल्पित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 एवं धारा 152 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए फाइल संख्या 6/6/2011-ईएमडीए-पार्टफाइल द्वारा निर्देश के अनुसार श्री केशवन रामचंद्रन (डी. आई. एन. 11347731), कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को एततद्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया।"

मद संख्या 5 – श्री सुचिंद्र मिश्रा (डीआईएन 01873568), विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।

विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना एक **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करने के लिए:

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

"**संकल्पित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2026 को जारी किए गए फाइल संख्या 6/6/2011-ईएमडीए-पार्टफाइल द्वारा निर्देश के अनुसार श्री सुचिंद्र मिश्रा (डीआईएन 01873568), विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की दिनांक 20 जनवरी, 2026 से कंपनी के सरकारी-नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को एततद्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया।"

मद संख्या 6 - श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी (डीआईएन 09322218), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी री) की एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना एक **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करने के लिए:

"**संकल्पित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 एवं धारा 152 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2026 को जारी किए गए फाइल संख्या 6/6/2011-ईएमडीए-पार्टफाइल द्वारा निर्देश के अनुसार श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी (डीआईएन 09322218), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी री) की दिनांक 04 फरवरी, 2026 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को एततद्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया।"

मद संख्या 7 - सुश्री साक्षी मित्तल (डीआईएन 11831732), संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।

विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना एक **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करने के लिए:

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

"**संकल्पित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2026 को जारी किए गए फाइल संख्या 6/6/2011-ईएमडीए-वॉल.II द्वारा निर्देश के अनुसार सुश्री साक्षी मित्तल (डीआईएन 11831732), संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की दिनांक 16 जुलाई, 2026 से कंपनी के सरकारी-नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को एततद्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया।"

मद संख्या 8 - श्री परमदीप लाल ठाकुर (डी. आई. एन. 11824465), कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ई सी जी सी लिमिटेड की पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति।

विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना एक **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करने के लिए:

"**संकल्पित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 एवं धारा 203 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2026 को जारी किए गए फाइल संख्या 6/6/2011-ईएमडीए-वॉल.II द्वारा निर्देश के अनुसार श्री परमदीप लाल ठाकुर (डी. आई. एन. 11824465), कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ई सी जी सी लिमिटेड की दिनांक 14 जुलाई, 2026 से कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति को एततद्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया।"

मद संख्या 9 - श्री यशवीर सिंह (डीआईएन 11934180), अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।

विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना एक **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करने के लिए:

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

"**संकल्पित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2026 को जारी किए गए फाइल संख्या 6/6/2011-ईएमडीए-वॉल.II द्वारा निर्देश के अनुसार श्री यशवीर सिंह (डीआईएन 11934180), अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की दिनांक 08 सितंबर, 2026 से कंपनी के सरकारी-नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को एततद्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते ईसीजीसी लिमिटेड

17/09/2026

(चंद्रशेखर रेड्डी)
कंपनी सचिव

दिनांक: सितम्बर 17, 2026
स्थान: मुंबई

पंजीकृत कार्यालय:
ईसीजीसी भवन,
ईसीजीसी लिमिटेड,
सीटीएस संख्या 393, 393/1-45,
एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई – 400069.

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांकित 22 सितंबर 2025, 10/2022 दिनांकित 28 दिसंबर 2022, 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 एवं 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के लागू प्रावधानों के अनुसार, जो कंपनियों को एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति देते हैं, कंपनी की एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक-2 (एस एस -2) एवं आईसीएसआई द्वारा जारी 15 अप्रैल 2020 के मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण के अनुसरण में, वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जो वार्षिक सामान्य बैठक का मानित स्थान होगा।

3. वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए बैठक स्थल का मार्ग मानचित्र एवं उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

4. एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इसलिए, प्रॉक्सी फॉर्म नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणनीयता के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

6. 68वीं एजीएम में भाग लेने के लिए वेब-लिंक और लॉग-इन विवरण सदस्यों के साथ ई-मेल ई-मेल द्वारा साझा किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वेब लिंक/मीटिंग आईडी और पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और लॉगिन क्रेडेंशियल की सुरक्षा के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी इंटरनेट स्पीड वाले लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

7. प्रासंगिक एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्यों के ईमेल पते पर भेजी जाएगी। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर भी उपलब्ध होगी।

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

8. खातों या इस एजीएम में निपटाए जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई जानकारी/स्पष्टीकरण चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे 19 सितंबर, 2026 को या उससे पहले cs@ecgc.in पर लिखें।

9. जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 19 सितंबर 2026 को या उससे पहले cs@ecgc.in पर अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध भेजकर एक वक्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं।

10. सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के पैरा बी के खंड के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 का अनुपालन करने के लिए नोटिस की मद संख्या 4 से 9 में दिखाई देने वाले विशेष कार्य को बैठक में रखा जाना माना जाता है, इसलिए इस नोटिस का हिस्सा बनता है। अधिनियम की धारा 102(1) के अनुसार एक बयान, जो बैठक में विशेष कार्य मद संख्या 4 से 9 के संबंध में है, इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

बैठक में शामिल होने के लिए शेयरधारकों को निर्देश:

i. लैपटॉप या कंप्यूटर (वेबकैम तक पहुंच के साथ) से जुड़ना

चरण 1: 68वीं एजीएम में शामिल होने के लिए वेबेक्स मीटिंग लिंक 17 सितंबर, 2026 के नोटिस ईमेल में उपलब्ध है। वेबेक्स लिंक पर क्लिक करें और सफारी/क्रोम/माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलें। यह आपको एक पृष्ठ पर ले जाएगा जहां आप या तो वेब पर बैठक में शामिल होना चुन सकते हैं या वेबेक्स डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 2: यदि डेस्कटॉप ऐप वांछित नहीं है, तो इसके बजाय वेब पर शामिल हों पर क्लिक करें।

चरण 3: 17 सितंबर, 2026 के नोटिस ईमेल में दिए गए मीटिंग नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और अपना नाम टाइप करें। 'अभी शामिल हों' पर क्लिक करें।

चरण 4: इच्छानुसार ऑडियो और वीडियो को म्यूट/अनम्यूट करें।

ii. मोबाइल फ़ोन से जुड़ना

चरण 1: एप्लिकेशन स्टोर से वेबेक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करें (उदाहरण के लिए गूगल प्ले स्टोर, आईओएस ऐप स्टोर, जैसा लागू हो।)

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

चरण 2: 68वीं एजीएम में शामिल होने के लिए वेबेक्स मीटिंग लिंक 17 सितंबर, 2026 के नोटिस ईमेल में उपलब्ध है। वेबेक्स लिंक का चयन करें और डाउनलोडेड एप में खोलें।
चरण 3: 17 सितंबर, 2026 के नोटिस ईमेल में दिए गए मीटिंग नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और अपना नाम टाइप करें। अभी शामिल हों पर चयन करें.
चरण 4: इच्छानुसार ऑडियो और वीडियो को म्यूट/अनम्यूट करें।

यह अत्यधिक अनुशंसित है कि अध्यक्ष/कंपनी सचिव द्वारा बोलने के लिए नाम की घोषणा करने के अलावा हर समय ऑडियो को म्यूट पर रखा जाए। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए, आप cs@ecgc.in पर लिखकर या 022 – 66590626 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

<u>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण</u>

<u>मद संख्या 4-9 के लिए:</u>

ईसीजीसी लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पूर्ण स्वामित्व वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, जिसमें 100% शेयरधारिता भारत के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्तियों के पास है।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 58 और 63 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रशासनिक मंत्रालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा की जाती है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) के अलावा बोर्ड के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक हैं।

कंपनी के निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, जैसा कि यहां नीचे दिया गया है, वित्तीय या अन्यथा, प्रस्तावों में किसी भी तरह से संबंधित या रुचि नहीं रखता है, सिवाय इसके कि कंपनी में उनकी हिस्सेदारी, यदि कोई हो, के प्रस्तावित प्रस्तावों से संबंधित या रुचि रखता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा जारी संबंधित आदेशों के अनुसार निम्नलिखित निदेशकों को सम्मिलित किया गयाः

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

I. श्री केशवन रामचंद्रन (डी. आई. एन. 11347731), कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में;

II. श्री सुचिंद्र मिश्रा (डीआईएन 01873568), विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को दिनांक 20 जनवरी, 2026 से कंपनी के गैर-कार्यपालक सरकारी-नामित निदेशक के रूप में; एवं

III. श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी (डीआईएन 09322218), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी री) को दिनांक 04 फरवरी, 2026 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ती एवं इस सूचना की तारीख तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा जारी संबंधित आदेशों के अनुसार निम्नलिखित निदेशकों को सम्मिलित किया गया था:

I. सुश्री साक्षी मित्तल (डीआईएन 11831732), संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को दिनांक 16 जुलाई, 2026 से कंपनी के सरकारी-नामित निदेशक के रूप में;

II. श्री परमदीप लाल ठाकुर (डी. आई. एन. 11824465), कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ई सी जी सी लिमिटेड को दिनांक 14 जुलाई, 2026 से कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में; एवं

III. श्री यशवीर सिंह (डीआईएन 11934180), अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को दिनांक 08 सितंबर, 2026 से कंपनी के सरकारी-नामित निदेशक के रूप में।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते ईसीजीसी लिमिटेड

17/09/2026

(चंद्रशेखर रेड्डी)
कंपनी सचिव

दिनांक: सितम्बर 17, 2026
स्थान: मुंबई

पंजीकृत कार्यालय:
ईसीजीसी भवन,
सीटीएस संख्या 393, 393/1-45,
एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई – 400069.

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.